

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
जनपद- बहराइच, देवरिया, अम्बेडकरनगर, फतेहपुर, हमीरपुर, कौशाम्बी, महाराजगंज।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 21 मई 2019

विषय- वर्ष 2019-20 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश के चयनित जनपदों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या-6/2019/784/12-2-2019-60(3)/2016 दिनांक 09 मार्च, 2019 के क्रम में वर्ष 2019-20 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश के चयनित जनपदों में फसल बाहुल्य क्षेत्रों में निम्नलिखित प्राविधानानुसार पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को निम्नानुसार लागू किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:-

1. भारत सरकार के पत्र संख्या: 13015/03/2016-क्रेडिट-II, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 द्वारा योजना के संचालन हेतु जारी संशोधित दिशा-निर्देशों, प्रदेश सरकार के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09 मार्च, 2019 में निर्गत निर्देशों तथा भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना को प्रदेश में संचालित किया जायेगा।
2. योजना में अधिसूचित क्षेत्र (विकासखण्ड) में अधिसूचित औद्योगिकी फसलों को प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों यथा कम वर्षा, बेमौसम/अधिक वर्षा, पाला, कम व अधिक तापमान, आर्द्रता आदि से नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों, जिनके द्वारा फसल का बीमा कराया गया है, को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
3. योजना के संचालन हेतु जनपदवार अधिकृत बीमा कम्पनी का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। जनपद में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत एक ही बीमा कम्पनी को क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में अधिकृत किया गया है, जिसके द्वारा इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों को निर्धारित अंतिम तिथियों तक कवरेज प्रदान किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गत 05 औद्योगिकी फसलों को निम्नानुसार चयनित जनपदों में फसल बाहुल्य क्षेत्रों में अधिसूचित किया गया है:-

क्र. सं.	जनपद	जनपद में अधिसूचित क्षेत्र (विकासखण्ड) का विवरण/सूची	अधिसूचित फसल
1	बहराइच, देवरिया, फतेहपुर, कौशाम्बी व महाराजगंज। (05 जनपद)	परिशिष्ट-2 में उल्लिखित विकासखण्डों में अधिसूचित किया गया है।	केला
2	फतेहपुर, कौशाम्बी (02 जनपद)		मिर्च
3	अम्बेडकरनगर (01 जनपद)		टमाटर
4	हमीरपुर, देवरिया, बहराइच, फतेहपुर (04 जनपद)		हरी मटर

नोट:-जनपद में अधिसूचित फसल के अद्यतन आच्छादन के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र (ब्लाक) की सूची में आंशिक संशोधन करने हेतु निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश अधिकृत होंगे, जिनके द्वारा उद्यान विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल को उगाने वाले सभी कृषक (बटाईदार व किराये पर खेती करने वाले कृषकों सहित) प्रस्तर-6 में फसलवार निर्धारित अंतिम तिथियों तक निम्नवत् योजनान्तर्गत फसल का बीमा करा सकेंगे-
- 5.1 ऋणी कृषक-वित्तीय संस्थाओं (व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक/पैक्स) द्वारा अधिसूचित फसल के सापेक्ष मौसमीय कृषि प्रचालन ऋण/के0सी0सी0 ऋण की स्वीकृत सीमा को अनिवार्य रूप से कवर किया जायेगा। बैंकों में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप अधोमानक के0सी0सी0/फसली ऋण को योजना में अनिवार्य आधार पर कवर नहीं किया जायेगा, यद्यपि ऐसे कृषकों को गैर ऋणी कृषकों की भाँति अपनी अधिसूचित फसल का बीमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा।
- 5.2 गैर ऋणी कृषक-स्वैच्छिक आधार पर निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/जन सेवा केन्द्र/सीधे फसल बीमा पोर्टल पर आनलाइन बीमा करा सकेंगे। गैर ऋणी कृषकों को योजना में सम्मिलित होने के समय आवश्यक अभिलेखीय साक्ष्यों यथा भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा बटाईदार व किराये पर खेती की स्थिति में बीमित किये जा रहे क्षेत्र की पुष्टि हेतु भू-स्वामी से किये गये अनुबन्ध की प्रति, अपने बैंक खाते के पासबुक की प्रति एवं आधार नम्बर/प्रमाणीकरण की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 5.3 योजना में सम्मिलित होने वाले सभी ऋणी व गैर ऋणी कृषकों हेतु 'आधार' आवश्यक है। एस0एम0एस0 के माध्यम से बीमा व क्षतिपूर्ति की जानकारी प्राप्त करने हेतु बीमा कराते समय कृषकों को अपने मोबाइल नम्बर का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। कृषकों, जिनके आधार नम्बर उपलब्ध नहीं हैं, द्वारा भी योजनान्तर्गत आधार नम्बर हेतु पंजीकरण के विवरण के साथ अपनी फसल का बीमा इस प्रतिबन्ध के साथ कराया जा सकेगा, कि उनके द्वारा आधार नम्बर का विवरण एक माह में सम्बन्धित संस्था को बीमा कम्पनी को प्रेषित किये जाने हेतु आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिनके माध्यम से बीमा कराया गया है।
- 5.4 ऋणी व गैर ऋणी कृषक द्वारा अग्रिम फसल बुआई योजना के आधार पर फसलों की वास्तविक बुआई से पूर्व भी योजना में सम्मिलित हुआ जा सकेगा। किसी कारण से कृषक द्वारा नियोजित/बीमित फसल के स्थान पर अन्य कोई फसल बोए जाने की स्थिति में बीमा कराने की निर्धारित अंतिम तिथि के दो कार्य दिवस के पूर्व तक सम्बन्धित संस्था यथा बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/जन सेवा केन्द्र/सीधे फसल बीमा पोर्टल, जिसके माध्यम से कृषक द्वारा बीमा कराया गया है, से संशोधित फसल के अनुरूप प्रीमियम के अन्तर की धनराशि (कम प्रीमियम की देयता की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा अधिक लिये गये प्रीमियम को वापस कर दिया जायेगा) एवं बोए गये क्षेत्र के प्रमाण पत्र के साथ फसल में परिवर्तन की सूचना बीमा कम्पनी को दी जानी आवश्यक है।
6. फसलवार जोखिम कवरेज अवधि/बीमा अवधि व कृषकों द्वारा बीमा कराने की अंतिम तिथि:-

क्र. सं.	मौसम	फसल	जोखिम कवरेज अवधि/बीमा अवधि	कृषकों द्वारा बीमा कराने की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
1.	खरीफ	केला	01 जुलाई, 2019 से 30 सितम्बर, 2020	30 जून, 2019
2.	खरीफ	मिर्च	01 अगस्त, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019	31 जुलाई, 2019
3.	रबी	टमाटर	01 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020	30 नवम्बर, 2019
4.	रबी	हरी मटर	15 दिसम्बर, 2019 से 29 फरवरी, 2020	14 दिसम्बर, 2019

7. बीमित राशि, प्रीमियम दर व अनुदान- अधिसूचित फसल केला, मिर्च, टमाटर, हरीमटर, आम हेतु बीमित राशि, कुल प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम दर, प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले अंश का विवरण परिशिष्ट-3 में उल्लिखित है। कृषक द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर से अधिक व फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अन्तर की धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा। कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम की धनराशि को निकटतम ₹0 में पूर्णांकित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8. फसलों की क्षति का आंकलन व क्षतिपूर्ति:- मौसम केन्द्र के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र को बीमा की इकाई के रूप में अधिसूचित किया जायेगा। फसलों की क्षति का आंकलन बीमा की इकाई स्तर पर किया जायेगा। प्रत्येक अधिसूचित ब्लाक में 02 स्वचालित मौसम केन्द्र को भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी। स्वचालित मौसम केन्द्र की स्थापना, रख-रखाव व सूचनाओं के संकलन व प्रेषण आदि में होने वाले समस्त व्यय को बीमा कम्पनी द्वारा पूर्णरूप से स्वयं वहन किया जायेगा।
- फसलों की क्षति का आंकलन बीमित फसल की बुवाई से कटाई की समयावधि (बीमा अवधि) के महत्वपूर्ण चरणों में फसल हेतु बीमा इकाई स्तर पर निर्धारित की गयी मौसमीय स्थितियों एवं मौसम की वास्तविक स्थिति में अन्तर के अनुरूप फसल की सम्भावित क्षति को दृष्टिगत रखते हुए परिशिष्ट- 4, 5, 6 व 7 पर फसलवार टर्मशीट में निर्धारित किये गये मापदण्डों के आधार पर बीमा कम्पनी द्वारा क्षति का आंकलन करते हुए कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।
9. कृषकों से प्रीमियम का एकत्रीकरण व बीमा कम्पनी को प्रेषण तथा फसल बीमा पोर्टल पर बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड किया जाना-
- 9.1 फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल बैंक प्रणाली, जो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स)/सहकारी बैंक शाखाओं की स्थिति में जिला सहकारी बैंक एवं व्यवसायिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सम्बन्धित ऋण वितरण शाखा के रूप में क्रियान्वयन कर रही हैं, यथावत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।
- 9.2 प्रशासनिक बैंक/नियंत्रक बैंक द्वारा अपने अधीनस्थ बैंक शाखाओं को योजना से सम्बन्धित आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जायें तथा बैंक शाखाओं से समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय सीमा में कृषकों से प्रीमियम की कटौती, इलेक्ट्रॉनिक (NFT/RTGS) तरीके से समेकित प्रीमियम व घोषणा पत्र (फसलवार व बीमा इकाई क्षेत्रवार बीमित कृषकों का विवरण) को निर्धारित प्रारूप में बीमा कम्पनी को प्रेषण तथा प्रत्येक बीमित कृषक के विवरण यथा बीमित क्षेत्र, बीमित राशि, प्रीमियम, कृषक की श्रेणी (अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अन्य)/महिला, बैंक खाता विवरण, आधार व मोबाइल नम्बर का विवरण को अनिवार्य रूप से फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।
- 9.3 नोडल बैंक/पैक्स तथा बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ, जन सेवा केन्द्र द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर कृषकवार बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड करने पर ही कृषक नियमानुसार बीमा कवरेज का पात्र होगा एवं तत्क्रम में ही केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम पर अनुदान की धनराशि जारी की जायेगी।
- 9.4 नोडल बैंक/शाखा/पैक्स तथा बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ (गैर ऋणी कृषकों की स्थिति में) की गलतियों/ विलोपनों/ कमीशन के कारण किसान फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित होने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था द्वारा ही कृषकों की हानियों की भरपाई करेगी।
- 9.5 नोडल बैंक/पैक्स तथा बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ, जन सेवा केन्द्र द्वारा योजना में सम्मिलित होने वाले ऋणी व गैर ऋणी कृषकों को यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ, जन सेवा केन्द्र द्वारा कृषकों के आधार विवरण के आधार पर कृषक की पहचान सुनिश्चित करते हुए प्रस्ताव फार्म में दिये गये विवरण के अनुरूप पोर्टल पर आनलाईन बीमा किया जायेगा। आनलाईन बीमा के समय ही आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्र को भी अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। फसल बीमा पोर्टल पर कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड किये जाने बीमा कम्पनी द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- 9.6 ऋणी कृषक (अनिवार्य कवरेज)- वित्तीय संस्थाओं-व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक/पैक्स द्वारा ऋणी कृषक की अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल व क्षेत्रफल हेतु स्वीकृत/नवीनीकृत फसली ऋण की राशि (फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड की गयी राज्य सरकार की अधिसूचना के परिशिष्ट-3 के कॉलम संख्या-5 में जनपद/फसल के सम्मुख अंकित प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की अधिकतम सीमा तक) को अनिवार्य रूप से सम्बन्धित खरीफ मौसम में दिनांक 01 अप्रैल से प्रस्तर-6 के कॉलम संख्या-5 में फसलवार उल्लिखित अंतिम तिथि तथा रबी मौसम में दिनांक 01 अक्टूबर से प्रस्तर-6 के कॉलम संख्या-5 में फसलवार उल्लिखित अंतिम तिथि तक योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- में कवर किया जायेगा। वित्तीय संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत अनिवार्य कवरेज सुनिश्चित करने हेतु प्रीमियम की धनराशि के बराबर अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया जायेगा।
- 9.7 वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तर-10 में कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित समय सारणी/उल्लिखित अंतिम तिथियों तक कृषकों के प्रीमियम की धनराशि व घोषणा पत्र को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बीमा कम्पनियों को प्रेषण, फसल बीमा पोर्टल पर बीमित कृषक के कवरेज के विवरण को अपलोड करने व पोर्टल के माध्यम से बीमित कृषकों के मोबाइल नं0 पर एस0एम0एस0 द्वारा अवगत कराने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।
- 9.8 व्यक्तिगत ऋणी कृषक हेतु बीमित राशि कृषक द्वारा ऋण स्वीकृति/नवीनीकरण के समय बैंक शाखा में प्रस्तुत किये गये ऋण आवेदन फार्म में फसल के घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) को फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड की गयी राज्य सरकार की अधिसूचना के परिशिष्ट-3 के कॉलम संख्या-5 में जनपद/फसल के सम्मुख अंकित प्रति हेक्टेयर बीमित राशि से गुणा कर निर्धारित करते हुए अनिवार्य रूप से सम्बन्धित खरीफ मौसम में दिनांक 01 अप्रैल से प्रस्तर-6 के कॉलम संख्या-5 में फसलवार उल्लिखित अंतिम तिथि तथा रबी मौसम में दिनांक 01 अक्टूबर से प्रस्तर-6 के कॉलम संख्या-5 में फसलवार उल्लिखित अंतिम तिथि तक योजना में कवर किया जायेगा।
- 9.9 व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखा तथा पैक्स की स्थिति में जिला सहकारी बैंक द्वारा फसली ऋण/के0सी0सी0 खाते की स्वीकृति/नवीनीकरण किये जाने की तिथि के 15 कार्यदिवस के अन्दर कृषकों से प्रीमियम की कटौती सुनिश्चित करते हुए प्रीमियम व घोषणा पत्र को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बीमा कम्पनी को प्रेषित किया जायेगा।
- 9.10 बीमा कराने के निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात स्वीकृत/नवीनीकृत फसली ऋण को योजना के अनुरूप पात्र होने पर अगले मौसम में ही वित्तीय संस्थाओं द्वारा योजना में कवर किया जायेगा। ऋण वितरण शाखा द्वारा योजना में अनिवार्य रूप से कवर किये गये ऋण के सम्बन्ध में आवश्यक बैंकअप रिकार्ड व रजिस्टर का रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9.11 वित्तीय संस्थाओं के स्तर पर अधिक बीमा होने व तत्क्रम में (Area correction Factor)का प्राविधान प्रभावी होने की स्थिति से बचने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषक के ऋण आवेदन फार्म में फसलवार उल्लिखित क्षेत्रफल के अनुरूप सही-सही बीमा कवरेज की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
- 9.12 गैर ऋणी कृषक (स्वैच्छिक कवरेज)- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक गैर ऋणी कृषक, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, द्वारा खरीफ मौसम में दिनांक 1 अप्रैल से प्रस्तर-6 के कॉलम संख्या-5 में फसलवार उल्लिखित अंतिम तिथि तथा रबी मौसम में दिनांक 1 अक्टूबर से प्रस्तर-6 के कॉलम संख्या-5 में फसलवार उल्लिखित अंतिम तिथि तक की अवधि में अपने निकटतम बैंक शाखा/जनसेवा केन्द्र/क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से अथवा सीधे फसल बीमा पोर्टल पर आनलाइन कराया जा सकेगा। योजना में सम्मिलित होने के समय गैर ऋणी कृषकों द्वारा प्रस्ताव फार्म में बीमा कवरेज का विवरण यथा अपना आधार नम्बर, बीमित फसल, बीमा इकाई क्षेत्र, बीमित क्षेत्र, बीमित राशि, प्रीमियम, कृषक श्रेणी (अनु0जा0/अनु0जा0/अन्य)/महिला, बैंक खाता विवरण, आधार व मोबाइल नम्बर का विवरण अंकित करते हुए प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
- 9.13 व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखा तथा पैक्स की स्थिति में जिला सहकारी बैंक द्वारा गैर ऋणी कृषकों से प्राप्त प्रीमियम व घोषणा पत्र को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस के अन्दर तथा क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत एजेन्ट/जन सेवा केन्द्र, जो लागू हो, द्वारा गैर ऋणी कृषकों के प्रस्ताव फार्म सहित घोषणा-पत्र व समेकित बीमा शुल्क को प्राप्त होने के 48 घण्टे के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराते हुए फसल बीमा पोर्टल पर बीमित कृषक के कवरेज के विवरण को अपलोड करने व पोर्टल के माध्यम से बीमित कृषकों के मोबाइल नं0 पर एस0एम0एस0 द्वारा अवगत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बैंक शाखा/जनसेवा केन्द्र/क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत एजेन्ट द्वारा प्रस्तर-10 में उल्लिखित कार्यों व कार्य के सम्पादन हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 9.14 प्रत्येक गैर ऋणी कृषक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, कृषक द्वारा प्रस्ताव फार्म में बीमित फसल हेतु घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड की गयी राज्य सरकार की अधिसूचना के परिशिष्ट-3 के कॉलम संख्या-5 में जनपद/फसल के सम्मुख अंकित प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के गुणनफल के बराबर होगी।
- 9.15 बीमा कम्पनी द्वारा बीमा कवरेज के विवरण को स्वीकार किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा बीमित कृषकों को प्राप्ति रसीद व बीमा कवरेज से सम्बन्धित फोलियो नम्बर बीमित कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 10 कार्यों के निष्पादन की निर्धारित समय सारिणी:-

क्र.सं.	कार्यक्रम	कार्यों के निष्पादन की निर्धारित समय सारिणी	
		खरीफ	रबी
1.	बीमा कम्पनी द्वारा योजना का प्रचार-प्रसार	अधिसूचना जारी होने से प्रारम्भ	15 सितम्बर से प्रारम्भ
2.	बैंक शाखाओं यथा व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक/पैक्स द्वारा ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों तथा जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा गैर ऋणी कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने की अंतिम तिथि	प्रस्तर-6 के कॉलम संख्या-5 में फसलवार उल्लिखित अंतिम तिथि तक	
3.	ऋणी कृषकों द्वारा निर्धारित क्राप प्लान (जैसा की ऋण स्वीकृति के समय बैंक शाखा में प्रस्तुत ऋण आवेदन फार्म में दर्शाया गया है) के स्थान पर अन्य अधिसूचित औद्योगिकी फसल बोये जाने की सूचना बैंक शाखा में देने की अंतिम तिथि	ऋणी कृषकों हेतु प्रस्तर-6 के कॉलम संख्या-5 में फसलवार उल्लिखित अंतिम तिथि से 02 कार्य दिवस के पूर्व तक तथा गैर ऋणी कृषकों हेतु प्रस्तर-6 के कॉलम संख्या-5 में फसलवार उल्लिखित अंतिम तिथि तक।	
4.	बैंक शाखाओं यथा व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक/पैक्स द्वारा बीमित सभी कृषकों से प्रीमियम की कटौती करते हुए इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रीमियम व घोषणा पत्र को बीमा कम्पनी को प्रेषण तथा फसल बीमा पोर्टल पर प्रत्येक बीमित कृषक के बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड करने की अंतिम तिथि	प्रस्तर-6 के कॉलम संख्या-5 में फसलवार बीमा कराने की अंतिम तिथि के उपरान्त आगामी 15 कार्यदिवस के अंदर	
5.	जन सेवा केन्द्र/बीमा कम्पनी के एजेन्ट द्वारा गैर ऋणी कृषकों से प्राप्त प्रीमियम व घोषणा पत्र को इलेक्ट्रानिक माध्यम से बीमा कम्पनी को प्रेषण की अंतिम तिथि	प्रस्तर-6 के कॉलम संख्या-5 में फसलवार बीमा कराने की अंतिम तिथि के उपरान्त आगामी 48 घंटे के अंदर	
6.	बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध बीमित कृषकों के विवरण को स्वीकार/अस्वीकार करने की अन्तिम तिथि	पोर्टल पर बैंक शाखाओं यथा व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक/पैक्स) एवं जन सेवा केन्द्र/बीमा कम्पनी के एजेन्ट द्वारा डाटा/सूचना अपलोड किये जाने के पश्चात ऋणी कृषकों की स्थिति में 15 कार्य दिवस के अन्दर तथा गैर ऋणी कृषकों की स्थिति में 30 कार्य दिवस के अन्दर।	
7.	बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा पोर्टल पर विसंगति/अपूर्ण विवरण, जैसा कि बीमा कम्पनी द्वारा सूचित किया गया है, के	बीमा कम्पनी द्वारा सूचित किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर।	

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	निराकरण की अन्तिम तिथि	
8.	बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा विसंगति का निराकरण कर पोर्टल पर अपलोड किये गये विवरण को बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकार/अस्वीकार करने की अन्तिम तिथि	बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा Corrected विवरण प्रस्तुत किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर
9.	बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा बीमित कृषकों को प्राप्त रसीद व बीमा कवरेज से सम्बन्धित फोलियो नम्बर बीमित कृषकों को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि	बीमा कम्पनी द्वारा बीमा कवरेज के विवरण को स्वीकार किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर।
10.	बीमा कम्पनी द्वारा बीमित कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण को अंतिम रूप देने एवं बीमित कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण का पोर्टल पर स्वतः स्वीकृति (Auto approval) की अन्तिम तिथि	जोखिम प्रारम्भ होने के उपरांत 60 कार्यदिवस के अंदर
11.	बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश की मांग एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के माध्यम से निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0 को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	
	1. राज्यांश की प्रथम मांग (गत मौसम की प्रगति के अनुरूप अनुमानित)	जोखिम प्रारम्भ होने तक
	2. राज्यांश की अंतिम मांग (अवशेष समस्त मांग)	पोर्टल पर अन्तिम प्रगति विवरण को अपलोड करने/विसंगतियों के निराकरण करने के पश्चात (विलम्बतम फसलवार निर्धारित बीमा अवधि समाप्त होने के 15 दिन पूर्व तक)
12.	पोर्टल पर अपलोड किये गये मौसम के प्रतिदिन आँकड़ों के आधार पर बीमा इकाई क्षेत्रवार क्षतिपूर्ति का स्वतः निर्धारण (Auto processing)	बीमा कम्पनी द्वारा सभी ब्लॉक में स्थापित मौसम केन्द्र में मौसम के प्रतिदिन के आँकड़ों को पोर्टल पर Real time basis पर अपलोड किया जायेगा। जोखिम की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर पोर्टल पर मौसम के प्रतिदिन के आँकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति का स्वतः निर्धारण होगा।
13.	बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को क्षतिपूर्ति के भुगतान की अन्तिम तिथि	पोर्टल पर क्षतिपूर्ति का स्वतः निर्धारण Auto processing) के दो सप्ताह के अन्दर

नोट:- निर्धारित अंतिम तिथि पर सार्वजनिक अवकाश होने अथवा सामान्य सेवाएं बाधित रहने की स्थिति में अगले कार्यदिवस को अंतिम तिथि माना जायेगा।

11 गैर ऋणी कृषकों के भागीदारी हेतु जनसेवा केन्द्रों/इंश्योरेन्स एजेन्ट की सेवाएं लेना-

11.1 बीमा कम्पनियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी व सम्बन्धित सेवायें प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन व निर्धारित दरों पर सर्विस चार्ज के भुगतान के आधार पर जनसेवा केन्द्रों के साथ अनिवार्य रूप से अनुबन्ध किया जायेगा। इस सम्बन्ध में बीमा कम्पनी द्वारा मंत्रालय के अंतर्गत नोडल एजेंसी CSC-SPV से सम्पर्क किया जायेगा।

11.2 बीमा कम्पनियों द्वारा अपने एजेन्ट को फसल बीमा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत करते हुए मौसम प्रारम्भ होने के 10 दिन के अंदर सूची जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक व राज्य स्तर पर निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0 को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 11.3 बैंक व जनसेवा केन्द्र/बीमा एजेण्ट को देय सर्विस चार्ज - बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुरूप कृषकों से एकत्रित प्रीमियम अंश पर 04 प्रतिशत की दर से सम्बन्धित बैंक को सर्विस चार्ज देय होगा जिसका भुगतान पोर्टल पर बीमा की अंतिम प्रगति विवरण के 15 दिन के अंदर सम्बन्धित बैंक को करना होगा। बीमा की अंतिम प्रगति विवरण के 15 दिन के पश्चात् बैंक को सर्विस चार्ज का भुगतान करने पर बीमा कम्पनी को 12 प्रतिशत ब्याज की दर से दण्ड ब्याज वहन करते हुए सम्बन्धित बैंक शाखा को भुगतान करना होगा।
- 11.4 बीमा कम्पनी द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जनसेवा केन्द्र को सर्विस चार्ज का भुगतान देय होगा जो प्रति बीमित कृषक के आधार पर अनुमन्य की जायेगी। सर्विस चार्ज के भुगतान के अंतर्गत कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण को आनलाइन अपलोड करने, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/खतौनी, बैंक पासबुक अपलोड करने व प्राप्त रसीद जारी करने की सेवाएं सम्मिलित रहेंगी।
- 11.5 बीमा कम्पनियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जन सेवा केन्द्रों से बीमा कराने वाले कृषकों से प्रीमियम के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य कोई धनराशि/फीस नहीं ली जायेगी एवं इसका स्पष्ट उल्लेख प्रत्येक जन सेवा केन्द्र बीमा स्थल पर प्रदर्शित किया जायेगा।
12. बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्रीमियम व घोषणा पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं इसका समस्त दायित्व सम्बन्धित संस्था, जिसके द्वारा बीमा किया गया है, का होगा।
13. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रीमियम व क्षतिपूर्ति की धनराशि का प्रेषण -
- बैंक, जनसेवा केन्द्र व बीमा एजेण्ट द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर Payment gateway (Pay-Gov) अथवा RTGS/NEFT के माध्यम से प्रीमियम की धनराशि को अनिवार्य रूप से बीमा कम्पनी को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित किया जायेगा। बीमा कम्पनियों का बैंक खाते-का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। बीमा कम्पनी, बैंक शाखा, जनसेवा केन्द्र व बीमा एजेण्ट द्वारा फसल बीमा हेतु अलग से बैंक खाता खोलते हुए लेनडिमाण्ड डाफ्ट के माध्यम से देन किया जायेगा। किसी भी स्थिति में बैंकर्स चेक-से धनराशि का प्रेषण अनुमन्य नहीं होगा।
  - बीमा कम्पनियों को पोर्टल पर अधिसूचना सम्बन्धी विवरण व कृषक स्तर पर बीमा कवरेज व बीमित कृषक के बैंक खाते के विवरण हेतु लॉगिन सुविधा प्रदान की जायेगी। बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर आंकड़ों का सत्यापन, विसंगतियों का निराकरण, क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए सीधे कृषक के बैंक खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि को प्रेषित किया जायेगा।
14. फसल बीमा पोर्टल पर सूचनाओं का अपलोड किया जाना -
- बीमा कम्पनी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के पूर्ण विवरण को बीमा इकाई क्षेत्र की सेन्सस कोड मैपिंग के साथ राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग के समन्वय से फसल बीमा पोर्टल- [www.pmfby.gov.in](http://www.pmfby.gov.in) पर अधिसूचना जारी होने के पश्चात प्राथमिकता पर अपलोड किया जायेगा ताकि बैंक शाखाओं/कृषक के स्वयं के द्वारा पोर्टल पर /जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेण्ट/पैक्स/ कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने की कार्यवाही तदनुसार निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित - करायी जा सके।
  - भारत सरकार स्तर पर विकसित फसल बीमा पोर्टल के अतिरिक्त बीमा कम्पनी द्वारा बीमित कृषकों के विवरण को एकत्रित करने हेतु अन्य कोई प्रोफार्मा अनुमन्य नहीं किया /पोर्टल को वितरित/ जायेगा।
  - पोर्टल पर क्षतिपूर्ति के विवरण के Auto approval के पश्चात् अगले दो हफ्तों में कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, चाहे बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश की द्वितीय मांग प्रस्तुत की गयी है अथवा नहीं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध बीमित कृषक के व्यक्तिगत विवरण यथा आधार नम्बर, बैंकिंग विवरण, पता व मोबाइल नम्बर को कहीं भी प्रदर्शित/वितरित नहीं किया जायेगा।
  - बीमा कम्पनियों द्वारा कार्य क्षेत्र आवंटित होने के 07 दिन के अन्दर निर्धारित योग्यता के बीमा एजेन्टों की ब्लाकवार सूची फसल बीमा पोर्टल के साथ ही प्रदेश के नोडल (पूर्ण विवरण सहित) विभाग व जनपद के उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा।
15. बीमा कम्पनी का कार्यालय- बीमा कम्पनी द्वारा प्रदेश स्तर पर कार्यालय स्थापित करते हुए सक्षम स्तर के पूर्णकालिक अधिकारी व कर्मिकों की नियुक्ति राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि के 30 कार्यदिवस के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी। बीमा कम्पनी के प्रदेश कार्यालय स्तर पर फसल बीमा से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का पूर्ण डाटा अपडेट रखा जायेगा तथा प्रदेश शासन व निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0 तथा निदेशक उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण, 30प्र0 को नियमित रूप से एवं समय-समय पर मॉगे जाने पर उपलब्ध कराया जायेगा। बीमा कम्पनी के प्रदेशीय प्रमुख द्वारा प्रदेश शासन, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों व बैंकों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए योजना का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समय-समय पर फसल बीमा योजनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर पर आहूत बैठकों में प्रतिभाग किया जायेगा।

बीमा कम्पनी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से 30 कार्यदिवस के अन्दर अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपद व जनपद के प्रत्येक तहसील में कम्पनी का क्रियाशील कार्यालय स्थापित करते हुए पर्याप्त संख्या में कर्मिकों तथा ब्लाक स्तर पर कम से कम 01 एजेन्ट को नियुक्त किया जायेगा। गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी हेतु बीमा मध्यस्थ की नियुक्ति राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि के 30 कार्यदिवस के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी।

बीमा कम्पनी द्वारा प्रदेश, जनपद व समस्त तहसील स्तर पर स्थापित कार्यालय/नियुक्त अधिकारी व बीमा मध्यस्थ का पूर्ण विवरण नियुक्ति के पश्चात अधिकतम 07 कार्य दिवस के अन्दर निम्न प्रारूप पर निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0 तथा निदेशक उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण, 30प्र0 कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा:-

क्र. सं.	मद	कार्यालय का पता, फैक्स नम्बर, ई-मेल व लैण्डलाइन फोन नं0	नियुक्त अधिकारी का पूर्ण विवरण		
			कुल संख्या	नाम	मोबाइल/ई-मेल
1	प्रदेश स्तर				
2	जनपद व तहसील स्तर				
3	ब्लाक स्तर पर नियुक्त बीमा एजेन्ट				

कम्पनी द्वारा गैर ऋणी कृषकों की अपेक्षित संख्या में भागीदारी हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने के 30 कार्यदिवस के अन्दर अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपदों में ब्लाक स्तर पर बीमा मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी तथा बीमा मध्यस्थ की नियुक्ति के पश्चात तत्काल बीमा मध्यस्थ का पूर्ण विवरण यथा नाम, जनपद नाम, मोबाइल नं0 आदि जनपदीय उप कृषि निदेशक, निदेशक, कृषि सांख्यिकी 30प्र0 तथा निदेशक उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण, 30प्र0 कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा जनपद में ग्रामपंचायत स्तर पर कार्यरत सभी जन सेवा केन्द्र संचालकों से अग्रिम रूप से अनुबन्ध करते हुए गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु अधिकृत किया जायेगा।

जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा फसल बीमा योजना के मानीटरिंग हेतु जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की प्रत्येक माह बैठक (आपदा की स्थिति में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



- आवश्यकतानुसार माह के मध्य में भी) करायी जायेगी। जनपद में बीमा कम्पनी के अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में उप कृषि निदेशक से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
16. बीमा कम्पनियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला कृषकों को फसल बीमा योजनाओं में कवर किये जाने हेतु विशेष प्रयास सुनिश्चित किये जायेंगे।
  17. केन्द्र व राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा बीमा कम्पनियों के स्तर पर उपलब्ध विवरण/खातों का सत्यापन/ऑडिट किया जायेगा, जिसमें बीमा कम्पनियों द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
  18. टेक्नोलॉजी फण्ड (Technology Fund )-भारत सरकार स्तर पर टेक्नोलॉजी फण्ड को स्थापित किया जायेगा। प्रदेश स्तर पर बीमा कम्पनियों पर लगाये गये आर्थिक दण्ड की धनराशि को एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 के माध्यम से टेक्नोलॉजी फण्ड में जमा कराया जायेगा। भारत सरकार द्वारा फण्ड में उपलब्ध धनराशि का उपयोग राज्य द्वारा प्रौद्योगिकी के प्रयोग में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति में किया जायेगा। इस फण्ड में ऐसे कृषकों से प्राप्त अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि को भी जमा कराया जायेगा, जहां Area correction Factor के कारण कृषक के प्रीमियम की देयता कम निर्धारित होती है।
  19. योजना का प्रचार-प्रसार -बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में कुल प्रीमियम के 0.5 प्रतिशत धनराशि को प्रचार-प्रसार मद में व्यय करते हुए ग्राम स्तर तक उद्यान विभाग के समन्वय से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा एवं योजना में अधिकाधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु निम्न कार्यवाही की जायेगी:-
    - मौसम के प्रारम्भ में बीमा कम्पनी द्वारा बैंक कार्मिकों व जनसुविधा केन्द्रों के कार्मिकों को योजना के प्राविधानों एवं पोर्टल पर डाटा अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जायेगा।
    - मौसम के प्रारम्भ में ही बीमा कम्पनी द्वारा राज्य व जनपद स्तर पर फसल बीमा की कार्यशाला का आयोजन कराया जायेगा। कार्यशाला में राज्य के सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, बैंकों तथा जनसुविधा केन्द्रों के संचालक, जनप्रतिनिधि, कृषक, कृषि उत्पादक संघ आदि की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी, ताकि योजना के प्राविधानों व समयसीमा की जानकारी सम्बन्धित को सुलभ हो सके।
    - बीमा कम्पनी द्वारा योजना का प्रचारप्रसार व-व्यापक रूप से ग्राम स्तर तक कराया जायेगा। बैंक शाखाओं के स्तर पर बीमा कम्पनी का पूर्ण पता व अधिकारी का मोबाइल नम्बर, बीमा एजेण्ट का सम्पर्क विवरण, टोल फ्री नम्बर आदि प्रदर्शित की जायेगी।
    - स्थानीय प्रिण्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य लोकप्रिय माध्यमों से ग्रामपंचायत स्तर तक योजना का प्रचारप्रसार कराया जायेगा।-
    - जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों, मा0 मंत्रीगण को योजना की जानकारी बीमा कम्पनी द्वारा समयसमय पर उपलब्ध करायी जायेगी।-
    - अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपदों में बैंक शाखाओं के स्तर पर पर्याप्त संख्या में घोषणा पत्र व प्रस्ताव फार्म की आपूर्ति राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने के 30 कार्यदिवस के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी।
    - ब्लाक स्तर पर नियुक्त किये गये प्रत्येक बीमा मध्यस्थ का कृषकों द्वारा सम्पर्क करने के समय, दिन व स्थान आदि का बैंक शाखाओं/बीमा ईकाई स्तर/ पर प्रचारप्रसार किया जायेगा-, जिससे कृषक सुगमता से उनसे सम्पर्क कर सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- बीमा कम्पनी द्वारा बैंक शाखाओं को क्षतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान के 30 कार्यदिवस के अंदर बैंकों से भुगतान की गई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।
  - बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में योजना के व्यापक प्रचारप्रसार-, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रत्येक मौसम में अग्रिम रूप से केन्द्र व राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।
20. बैंकों से समन्वय - बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के सभी जनपदों में सम्बन्धित विभागों व बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए अधिसूचित फसलों के सभी ऋणी कृषकों को अनिवार्य आधार पर एवं गैर ऋणी कृषकों को योजना में स्वैच्छिक आधार पर कवरेज प्रदान करने, प्रीमियम की धनराशि एवं त्रुटिरहित घोषणा पत्र को बैंकों से समय से बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी सम्भव प्रयास किया जायेगा तथा योजना में सभी इच्छुक/पात्र कृषकों को बीमा कवरेज व निर्धारित समय-सीमा में क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
21. फसल के बीमित क्षेत्र एवं वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति का निराकरण- भारत सरकार के संशोधित दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-25 (पृष्ठ 57 व 58) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप फसल के बीमित क्षेत्र एवं वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति का निराकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।
22. अन्य विवादों का निराकरण- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अन्य विवादों का निराकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।
23. प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन तथा जनपद स्तर पर प्रभावी व समयबद्ध संचालन हेतु विभिन्न समितियों का गठन व कार्य-

#### राज्य स्तर-

- राज्य स्तरीय समन्वय समिति (State Level co-ordination committee on crop insurance/ SLCCCCI)- प्रदेश में फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा प्रत्येक मौसम में फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्र व फसलों का चयन, बीमित राशि, इन्डेम्निटी स्तर, बीमा की इकाई व बीमा कम्पनियों से आमंत्रित की जाने वाली निविदा शर्तों के निर्धारण के साथ ही प्रदेश में योजना के संचालन की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
- राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति State Level Technical Advisory Committee/ STAC)- प्रमुख सचिव, कृषि, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति गठित की गयी है जिसके द्वारा जनपद स्तर पर फसलों के निर्धारित वित्तमान (Scale of Finance)के अनुरूप बीमित राशि का निर्धारण व जनपद में फसल के उपज के आंकड़ों में विसंगति व अन्य सन्दर्भित किये गये प्रकरणों पर निर्णय लेते हुए निराकरण किया जायेगा।
- राज्य टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (State Technical Support Unit)- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0 के अधीन राज्य स्तरीय टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (STASU) गठित की गयी है (, जो फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण, तकनीकी सलाह देने, योजना के मूल्यांकनप्रभाव व / सम्बन्धित अध्ययन, फसल बीमा हेतु समग्र डाटाबेस विकसित करने हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होगी।

#### जनपद स्तर-

- जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति (District Level Monitoring committee /DLMC)- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित इस समिति द्वारा प्रत्येक माह (आपदा की स्थिति में आवश्यकतानुसार माह के मध्य में भी) समिति की बैठक करते हुए योजना के प्रचार प्रसार, ऋणी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तथा गैर ऋणी कृषकों की सहभागिता, बैंकों से त्रुटिरहित घोषणा पत्रों को समय से बीमा कम्पनियों को प्रेषण, फसलों के क्षेत्रफल में विसंगति, क्षतिपूर्ति की धनराशि का बैंकों द्वारा कृषकों के खातों में समायोजन आदि की समीक्षा के साथ ही योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में समयसमय पर आ रही - सभी कठिनाइयों का निराकरण व समाधान सुनिश्चित कराया जायेगा। जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा जनपद में कृषक, बैंक शाखाओं व बीमा कम्पनी द्वारा सन्दर्भित किये गये प्रकरण/शिकायत के निराकरण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय संयुक्त समिति, जनपद स्तरीय शिकायत निराकरण समिति तथा जनपद स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के स्तर पर कृत कार्यवाही की समीक्षा तथा जनपद में फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का समय से निराकरण की कार्यवाही की जायेगी।

○ जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति )DGRC -(

कृषकों/बैंकों/सम्बन्धित विभागों की शिकायत का प्रथम चरण में निराकरण बीमा कम्पनी के तहसील/जनपद स्तरीय कार्यालय द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में शिकायत प्राप्त होने पर 07 कार्य दिवस में सुनिश्चित किया जायेगा। कृषकों द्वारा योजना के प्राविधानों, बीमा कराने, व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करने, क्षतिपूर्ति आदि की जानकारी, बैंकों द्वारा योजना की जानकारी अथवा पोर्टल पर बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड करने में आ रही कठिनाइयों तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग के स्तर पर पोर्टल पर मोबाइल नम्बर के पंजीकरण, उपज के आंकड़ों को अपलोड करने में आ रही कठिनाइयों आदि के निराकरण हेतु बीमा कम्पनी के तहसील/जनपदीय कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकेगा।

बीमा कम्पनी के स्तर पर निर्धारित समय सीमा के अन्दर शिकायत का संतोषप्रद निराकरण नहीं होने पर कृषकों/बैंकों/सम्बन्धित विभागों/बीमा कम्पनी की शिकायतों का निराकरण द्वितीय चरण में उप कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति द्वारा अधिकतम 15 दिनों में सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित शिकायतकर्ता को सूचित किया जायेगा। उप कृषि निदेशक द्वारा जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट एवं समाधान न हो सकने पर शिकायतों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति के संज्ञान में लाते हुए निस्तारित कराया जायेगा। जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति के स्तर पर अनिस्तारित शिकायतों अथवा शिकायत की प्रकृति व्यापक स्वरूप की होने अथवा शिकायत के आधार पर क्षतिपूर्ति की देयता की धनराशि ₹0 25.00 लाख से अधिक होने पर शिकायत/प्रकरण को सीधे प्रमुख सचिव, कृषि की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति को निराकरण हेतु सन्दर्भित किया जायेगा, जिसकी प्रति निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0 कार्यालय को भी प्रेषित की जायेगी।

24. राज्यांश की मांग-

1. बीमा कम्पनियों की राज्यांश की समस्त मांग के भुगतान हेतु कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश अधिकृत होंगे।
2. बीमा कम्पनियों द्वारा प्रीमियम पर अनुदान मद में राज्यांश की मांग एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के माध्यम से राज्य के नोडल विभाग (निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0) को प्रस्तुत की जायेगी।
3. बीमा कम्पनियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में गत मौसम में योजना की प्रगति विवरण के आधार पर राज्यांश की मांग अग्रिम के रूप में खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर तक निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा 30प्र0 कार्यालय को एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के माध्यम से समस्त सूचनाओं/विवरण/प्रमाणपत्रों के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
4. बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तर-6 के कॉलम संख्या-5 में फसलवार उल्लिखित अंतिम तिथि के 60 कार्यदिवस के अन्दर अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में योजनावार अधिसूचित बीमा ईकाई क्षेत्रवार व बीमित कृषकवार बीमा की प्रगति विवरण (पोर्टल पर उपलब्ध प्रगति विवरण के अनुरूप) के आधार पर पुर्नगठित मौसम आधारित फसल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- बीमा योजना हेतु राज्यांश की अंतिम मांग को समस्त सूचनाओं/विवरण/प्रमाणपत्रों के साथ भुगतान हेतु कृषि विभाग को एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।
5. वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत बजटीय स्वीकृति में से वर्तमान वर्ष में राज्यांश की देयता के साथ-साथ विगत वर्षों के राज्यांश की अवशेष देयताओं का भुगतान/ समायोजन कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के संज्ञान में लाते हुए निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।
  6. बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश की मांग के साथ इस निम्न आषय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा-
    - बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की जा रही राज्यांश की मांग सम्बन्धित मौसम में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल मात्र के लिए ही प्रस्तुत की जा रही है।
    - कृषकों द्वारा क्षेत्र विशेष में अधिसूचित फसल हेतु मात्र एक बार ही बीमा कवरेज प्रदान किया गया है।
    - बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग में किसी भी विसंगति हेतु सम्बन्धित बीमा कम्पनी स्वयं उत्तरदायी होगी।
    - बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश के रूप में जितनी धनराशि की मांग राज्य सरकार से की जा रही है, उतनी ही धनराशि की मांग केन्द्र सरकार से भी की गयी है।
    - बीमा कम्पनी के स्तर पर राज्यांश की पूर्व में भुगतान की गयी समस्त धनराशि का उपभोग कम्पनी द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है एवं उपभोग प्रमाण पत्र निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0 कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।
  25. अनुश्रवण व समीक्षा - बीमा कम्पनी के जनपदीय/तहसील स्तरीय कार्यालय पर कार्यरत स्टाफ द्वारा बैंक शाखाओं से प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र के आधार पर 5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के बैंक खातों में क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कराये जाने का सत्यापन बैंक शाखाओं के स्तर पर करते हुए रिपोर्ट जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0 को प्रस्तुत की जायेगी। बीमा कम्पनी के प्रदेशीय व मुख्यालय स्तर से कम से कम 1 या 2 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के बैंक खातों में क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कराये जाने का सत्यापन किया जायेगा। प्रदेश शासन व भारत सरकार स्तर पर नेशनल लेवल मानीटरिंग समिति द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार सत्यापन कराया जायेगा।
  26. योजना के क्रियान्वयन में केन्द्र व राज्य सरकार की वित्तीय देयता प्रीमियम पर अनुदान मद तक सीमित होगी। योजना के क्रियान्वयन में अन्य सभी मदों तथा कृषकों को देय समस्त क्षतिपूर्ति को पूर्णरूपेण क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में अधिकृत बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के 07 दिन के उपरान्त भुगतान करने पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दण्ड ब्याज वहन करते हुए कृषकों को भुगतान करना होगा।
  27. भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक व इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन जन सेवा केन्द्रों की सेवाओं को फसल बीमा योजनाओं में गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने में लिये जाने हेतु बीमा कम्पनियों द्वारा जन सेवा केन्द्र से अलग से अनुबन्ध आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा जन सेवा केन्द्र से बीमित प्रत्येक कृषक हेतु प्रति मौसम सर्विस चार्ज का भुगतान भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप देय होगा, जिसका भुगतान मौसम विशेष में बीमा की प्रगति को अन्तिम रूप देने के 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा।
  28. क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत की गयी बीमा कम्पनियों द्वारा संयुक्त रूप से कॉल सेन्टर (CAII CENTRE) को अधिसूचना जारी किये जाने के 30 दिन के अन्दर संयुक्त रूप से व्ययभार वहन करते हुए स्थापित कराया जायेगा। कॉल सेन्टर द्वारा कृषकों व सम्बन्धित विभागों द्वारा किये गये प्रश्नों/शिकायतों को प्राप्त करते हुए सम्बन्धित बीमा कम्पनी को प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

29. दण्ड (Penalty)-फसल बीमा योजनाओं के संचालन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, जिससे योजना का क्रियान्वयन प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो रहा है, अथवा कृषक को योजना के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ समय से प्राप्त नहीं हो रहा है, की स्थिति में प्रत्येक मौसम में बीमा कम्पनी के प्रदर्शन की समीक्षा की जायेगी एवं परिशिष्ट-8 में उल्लिखित तालिका के अनुरूप आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा। आर्थिक दण्ड/दण्डात्मक कार्यवाही के विरुद्ध बीमा कम्पनी को अपना पक्ष एक माह के अन्दर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। प्रमुख सचिव, कृषि, 30प्र0 शासन का इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
30. बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों/सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों द्वारा संदर्भित की गई समस्याओं/ कठिनाईयों/सूचनाओं का निस्तारण भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराते हुए अपेक्षित सूचनाओं को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। जनसूचना/जनसुनवाई/ कोर्टकेस/लोकसभा प्रश्न/राज्यसभा प्रश्न/विधानसभा प्रश्न/विधान परिषद प्रश्न/उपभोक्ता फोरम/जन प्रतिनिधियों द्वारा की गयी प्रेक्ष्याओं/कार्यवाही को निर्धारित समय-सीमा में उत्तर/निष्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा।
31. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश तथा निदेशक उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण, 30प्र0 द्वारा प्रदेश के जनपदों के जनपदवार कृषि एवं औद्योगिकी फसलें से सम्बन्धित कार्यालय स्तर पर उपलब्ध आँकड़े क्रियान्वयन अभिकरण की माँग के अनुरूप उपलब्ध कराया जायेगा।
32. बैंकों द्वारा योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों की सूची एवं वितरित क्षतिपूर्ति का बीमा इकाई क्षेत्रवार विवरण बैंक शाखा स्तर पर प्रत्येक मौसम में चस्पा करायी जायेगी।
33. कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने तथा क्षतिपूर्ति के निर्धारण व वितरण की पूरी प्रक्रिया में कृषकों को हतोत्साहित करने की किसी भी स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
34. भारत सरकार स्तर से क्रियान्वयन अभिकरण को फसल बीमा योजनाओं में कृषकों की फसलों को कवरेज प्रदान करने हेतु De-Empanelled किया जाता है अथवा फसल बीमा योजनाओं के प्राविधानों में व्यापक संशोधन किये जाते हैं तो तदनुसार क्रियान्वयन अभिकरण के निर्धारित कार्य क्षेत्र एवं दायित्व को संशोधित/निरस्त किया जा सकता है।
35. राज्य सरकार एवं क्रियान्वयन अभिकरण बैंकों के संगत रिकार्ड तक अपनी पहुँच रखेंगे एवं बैंकों द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
36. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह अथवा आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, तथा निदेशक उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण, 30प्र0, को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
37. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बीमा क्षतिपूर्ति नोडल बैंक (बैंक शाखा/जिला सहकारी बैंक) को जारी करते हुए योजना का जनपद में फसलवार एवं बैंकवार विस्तृत विवरण सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक तथा उसकी प्रति निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश व निदेशक उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण, 30प्र0 को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जायेगा।
38. योजना की विस्तृत जानकारी हेतु जनपद के अधिकृत क्रियान्वयन अभिकरण अथवा जनपदीय उप कृषि निदेशक अथवा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश अथवा निदेशक उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण, 30प्र0 से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)

प्रमुख सचिव।

संख्या- /2019/ /12-2-2019 तददिनांक।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2. सचिव, भारत सरकार, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मन्त्रालय, अम्बरदीप, नई दिल्ली।
3. डॉ.ओ.ई.सी. आशीष कुमार भूटानी 0, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
4. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासनलखनऊ।, सचिवालय,
7. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
8. प्रमुख सचिव, मा, मुख्य मंत्री जी 0 उ०प्र० शासन।
9. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ०प्र० शासन।
10. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
11. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
12. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ०प्र० शासन।
13. सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
14. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, 14-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
15. मण्डलायुक्त, सम्बन्धित मण्डल, उत्तर प्रदेश।
16. महानिदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ०प्र०, 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
17. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
18. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र०, उद्यान भवन, 2-सप्रमार्ग लखनऊ।
20. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
21. महाप्रबन्धक, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 8-9 विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
22. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 11-विपिनखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
23. महाप्रबन्धक (प्रशासन), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, हजरतगंज लखनऊ।
24. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
25. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि०, 5वां तल, जीवन भवन, फेज-2, नवलकिशोर रोड, लखनऊ।
26. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि०, प्लेट बी व सी, ऑफिस ब्लॉक 1, पांचवा तल, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली।
27. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि०, ओरियन्टल हाउस, ए-25/27, असिफ अली रोड, नई दिल्ली।
28. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि०, 24-व्हाइट्स रोड, चेन्नई।
29. महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, जोनल कार्यालय, सेन्ट्रल जोन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ।
30. उप महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
31. महाप्रबन्धक, केनरा बैंक, कृषि वित्त एवं प्राथमिकता क्षेत्र अनुभाग, अंचल कार्यालय, 4-सप्र मार्ग, लखनऊ।
32. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, केन्द्रीय क्षेत्र, 4-बी, हबीबुल्लाह स्टेट, लखनऊ।
33. उप मुख्य अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक, तीसरी मंजिल, नव चेतना केन्द्र, 10-अशोक मार्ग, लखनऊ।
34. उप महाप्रबन्धक, रीजनल कार्यालय, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शारदा टावर, द्वितीय तल, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
35. सहायक महाप्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, आंचलिक कार्यालय, 8-ज्वाला बिल्डिंग, लालबाग, लखनऊ।
36. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं कृषि), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), पोस्ट बाक्स नं०-363, विश्व शान्ति काम्पलेक्स, देहली रोड, मेरठ।
37. उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जोनल कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं०-198, पहली मंजिल, जीवन बीमा विनियोग भवन, 45- हजरतगंज, लखनऊ।
38. सहायक महाप्रबन्धक, विजया बैंक, नेहरू भवन, पोस्ट बाक्स नं०-183, कैसरबाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

39. सहायक महाप्रबन्धक, सिण्डीकेट बैंक, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
40. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूको बैंक, आकाशदीप बिल्डिंग, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
41. जोनल मैनेजर, बैंक आफ इण्डिया, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
42. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कोतवाली के सामने, हजरतगंज, लखनऊ।
43. क्षेत्रीय प्रबन्धक, ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स, अंचल कार्यालय, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
44. सर्किल हेड, पंजाब नेशनल बैंक, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, प्रभातनगर, साकेत, मेरठ।
45. जोनल मैनेजर, इण्डियन बैंक, 2 बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
46. क्षेत्रीय प्रबन्धक, देना बैंक, 28 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
47. वरिष्ठ प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक, 16 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
48. सहायक जनरल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, विकास नगर, लखनऊ।
49. जनरल मैनेजर, नैनीताल बैंक लि0, नैनीताल बैंक हाउस, 7 ओक्स बिल्डिंग, मल्लीताल, नैनीताल।
50. उप जनरल मैनेजर, कार्पोरेशन बैंक, 1-1/ एफ, अशोक मार्ग (निशातगंज के पास), लखनऊ।
51. शाखा प्रभारी, एक्सिस बैंक लि0, 25-बी, अशोक मार्ग, सिकन्दरबाग चौराहा, लखनऊ।
52. शाखा प्रभारी, आई0डी0बी0आई0 बैंक, सहकारी किसान भवन, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
53. वरिष्ठ प्रबन्धक, फेडरल बैंक, 29 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
54. सहायक उपाध्यक्ष, इण्डसाइण्ड बैंक लि0, नवल किशोर रोड, लालबाग, लखनऊ।
55. संयुक्त कृषि निदेशक, सम्बन्धित मण्डल, उत्तर प्रदेश।
56. सांख्यिकीय अधिकारी, मण्डलायुक्त कार्यालय, सम्बन्धित मण्डल, उत्तर प्रदेश।
57. उप कृषि निदेशक, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
58. जिला कृषि अधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
59. जिला उद्यान अधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
60. अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
61. सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
62. प्रबन्धक, लीड बैंक (शीर्ष बैंक), सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)

संयुक्त सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।